

**वित्त मंत्रालय**  
मांग संख्या 39  
पेंशन

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	10966.67	10966.67	...	15500.00	15500.00	...	15000.00	15000.00	
पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	...	<b>10966.67</b>	<b>10966.67</b>	...	<b>15500.00</b>	<b>15500.00</b>	...	<b>15000.00</b>	<b>15000.00</b>	
<b>पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ</b>										
1. अधिवर्षिता और सेवा-निवृत्ति भत्ते	2071	...	5784.00	5784.00	...	7954.00	7954.00	...	8383.27	8383.27
2. पेंशन का संराशीकृत मूल्य	2071	...	1202.35	1202.35	...	1932.35	1932.35	...	1841.85	1841.85
3. उपदान	2071	...	1386.00	1386.00	...	1976.00	1976.00	...	2028.15	2028.15
4. कुटुम्ब पेंशन	2071	...	1110.00	1110.00	...	1928.33	1928.33	...	1945.76	1945.76
5. छुट्टी नकदीकरण	2071	...	803.00	803.00	...	869.00	869.00	...	1111.99	1111.99
6. भविष्य निधियों के लिए अंशदान	2071	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	20.00	20.00
7. पेंशन संबंधी विविध भुगतान	2071	...	631.17	631.17	...	790.17	790.17	...	629.17	629.17
8. अन्य	2071	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.60	1.60
<b>जोड़-पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ</b>										
		...	<b>10932.02</b>	<b>10932.02</b>	...	<b>15465.35</b>	<b>15465.35</b>	...	<b>15961.79</b>	<b>15961.79</b>
<i>घटाइए-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्य राशि</i>										
	0071	...	...	...	...	...	...	...	-1000.00	-1000.00
<i>जोड़ मुख्य शीर्ष 2071</i>										
		...	<b>10932.02</b>	<b>10932.02</b>	...	<b>15465.35</b>	<b>15465.35</b>	...	<b>14961.79</b>	<b>14961.79</b>
<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>										
9. जमा संबद्ध बीमा योजना	2235	...	33.05	33.05	...	33.05	33.05	...	36.08	36.08
10. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	2235	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91
11. अन्य	2235	...	0.69	0.69	...	0.69	0.69	...	1.22	1.22
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>10966.67</b>	<b>10966.67</b>	...	<b>15500.00</b>	<b>15500.00</b>	...	<b>15000.00</b>	<b>15000.00</b>

इस मांग में पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है जिसमें वे भुगतान भी शामिल हैं जो भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं जिन्हें बाद में राज्य सरकारों से वसूल कर लिया जाता है। इस मांग में अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमा सहबद्ध बीमा योजना, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

2. मुख्य शीर्ष "0071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान एवं वसूलियां", के तहत प्राप्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त की जाने वाली देय राशियों की पहली किश्त के कारण हैं।